निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 131/2020 तारीख दायरा 27.02.2020

उनवान

गोबरिया उर्फ लटूरलाल पुत्र धन्नालाल गोद पुत्र बंशी जाति माली निवासी ग्राम बपावर खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा । – प्रतिवादी –

वाद अंतर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री बाबूलाल नागर वादी वकील दिनांक 24.11.2020
2. श्री सरकार पैरोकार प्रतिवादी

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बपावरखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं0 नई 20 कुल 21 किता की 1.65 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
बपावरखुर्द	नई 20	308	0.12
		309	0.08
		310	0.08
		311	0.02
		312	0.02
		313	0.02
		314	0.05
		315	0.02
		316	0.01
		317	0.05

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:49:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

326	0.01
327	0.15
331	0.10
332	0.16
337	0.10
338	0.16
339	0.16
344	0.20
345	0.10
346	0.10
347	0.03

कुल 21 किता की कुल 1.65 हैक्टर आराजी।

उक्त वर्णित आराजी की नकल की वादी को अपने स्वयं के लिए कृषि ऋण लेने के लिए जरूरत होने पर खाते की नकल प्राप्त की तो वादी की जानकारी में आया कि वादी के वास्तविक नाम लटूरलाल के स्थान पर घर का नाम गोबरिया लिखा हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम लटूरलाल है तथा वादी की जानकारी में यह भी आया कि गोबरिया पुत्र धन्नालाल है, जो भी वादी ही है, क्योंकि वादी के पिता का नाम धन्नालाल है और धन्नालाल जी से उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्सा आराजी में गोबरिया पुत्र धन्नालाल अंकित है तथा वादी को रिश्तेदार बंशी जी ने गोद लिया था, जो वादी के गोद पिता है, ऐसी स्थिति में बंशी जी के हिस्से पर भी गोबरिया पुत्र बंशी के रूप में हिस्सा आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जो भी वादी का ही नाम है अर्थात उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड में गोबरिया पुत्र धन्नालाल व गोबरिया पुत्र बंशीलाल दोनो वादी ही है, जिनमें धन्नालाल वादी के प्राकृतिक पिता है तथा बंशी वादी के गोद पिता है, अर्थात दोनो नाम से अलग अलग हिस्से के रूप में दर्ज आराजी का मालिक व स्वामी एक मात्र वादी ही है।

वादी का वास्तविक नाम लटूरलाल है, जिसकी पुष्टि वादी के आधार कार्ड, परिवार कार्ड, व अन्य दस्तावेजो से होती है, पहचान पत्र आदि में भी वादी का नाम लटूरलाल ही हैं, जिसके कारण राजस्व रेकार्ड में दर्ज घर के बोलते बचपन के नाम गो[illegible] लटूरलाल दोनों अलग अलग नाम होने से वादी को कृषि ऋण प्राप्त करने [illegible] हिस्से में दर्ज आराजी का विकास कार्य करवाने में भी परेशानी का सामना करना [illegible] रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:49:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वादी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी के राजस्व रेकार्ड में घर का बोलता नाम गोबरिया दर्ज होने की जानकारी होने के बाद वादी द्वारा पटवारी हलका से उक्त घर के नाम गोबरिया के स्थान पर रेकार्ड के नाम लटूरलाल दर्ज करवाने की कहने पर पटवारी हलका द्वारा वादी के नाम की शुद्धि करने से मना कर देने तथा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने के बाद ही नाम शुद्धि करने की कहने पर वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर गोबरिया पुत्र धन्नालाल के स्थान पर लटूरलाल पुत्र धन्नालाल व गोबरिया पुत्र बंशीलाल के स्थान पर लटूरलाल पुत्र बंशी की घोषणा करवावे तथा साथ ही धन्नालाल वादी के प्राकृतिक पिता व बंशी वादी के गोद पिता होने से उक्त दोनो हिस्से वादी के हक में घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावेकि :—

वादी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बपावर खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता सं0 नई 20 कुल 21 किता की 1.65 हैक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी के घर के बोलते नाम गोबरिया के स्थान पर पहचान के दस्तावेज के आधार पर रेकार्ड का नाम लटूरलाल दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री पारित फरमायी जावें, धन्नालाल वादी के प्राकृतिक पिता है तथा बंशी वादी के गोद पिता है अर्थात दोनों नाम से अलग अलग हिस्से के रूप में दर्ज आराजी का मालिक व स्वामी एक मात्र वादी होने से धन्नालाल वादी के प्राकृतिक पिता व बंशी वादी के गोद पिता होने से उक्त दोनो हिस्से की वादी के हक में घोषणा की जाकर घोषणा की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमाया जावें। विकल्प में निवेदन है कि यदि उपरोक्त अनुसार डिक्री [illegible] संभज नहीं हो तो उक्त आराजी में दर्ज गोबरिया पुत्र धन्नालाल व गोबरिया पुत्र बंशी के [illegible] गोबरिया उर्फ लटूरलाल पुत्र धन्नालाल गोद पुत्र बंशी जाति मालि निवासी ग्राम बपावर खुर्द तहसील सांगोद दर्ज किये जाने की घोषणा की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:49:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद को दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी को सूचना हो चुकी है। वकील वादी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र पेश किया गया। वकील वादी द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, जमाबंदी आदि के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

उक्त वाद में जमाबंदी का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादी को उसके जाईन्दा पिता तथा गोद पिता दोनों से आराजियात प्राप्त हुयी है जबकि यदि आराजियात पुश्तैनी हो तो विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि गोद पुत्र जाईन्दा पिता अथवा गोद पिता में से किसी एक की ही आराजियात में हक प्राप्त कर सकता है। वादी वकील द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वादी को उनके जाईन्दा पिता से प्राप्त आराजी उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुई है। साथ ही विवादित आराजी संयुक्त खाते की है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करते समय संयुक्त खाते के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

उक्त पत्रावली का सूक्ष्म अवलोकन व मनन करने पर प्रतीत होता है कि यह प्रकरण मात्र नाम शुद्धि का नहीं है बल्कि खातेदारी उद्घोषणा का प्रतीत होता है। अतः वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा। वादी का वाद खारिज किया जाता है।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:49:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 24.11.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद